

98

श्री गिरजा शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सेक्रेटरी,
सेन्ट्रल बोर्ड आफ़ सेक्रेण्डरी एज्युकेशन,
2/19, संत विहार अंतारी रोड,
दीरगार्गज,
नई दिल्ली ।

शिक्षा 117 अनुभाग

लखनऊ दिनांक 30 अगस्त, 1989

विषय- सरस्वती विद्या मंदिर बानसपुर, पिपेकानन्द नगर, सुल्तानपुर को
अनापीत प्रमाण-पत्र दिए जाने के संबंध में ।

महोदय,

जैसे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरस्वती विद्या मंदिर, बानसपुर,
पिपेकानन्द नगर, सुल्तानपुर को सेन्ट्रल बोर्ड आफ़ सेक्रेण्डरी एज्युकेशन, नई दिल्ली से
सम्बन्धिता प्रदान किए जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तों
के अधीन आपीत नहीं है:-

क सामान्य प्रतिबन्ध

- 1] विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 2] विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान गैरवाणी और पिछड़े वर्ग निरक्षर आय वर्ग के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे तथा उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बैतक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 3] संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा ।
- 4] संस्था के सभी अध्यापक/अध्यापिकाएं प्रशिक्षित होंगे । संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन ~~भत्ता~~ तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान एवं अन्य भत्ते नहीं दिए जायेंगे ।
- 5] राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आदेशा निर्गत किए जायेंगे उनका पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा ।

§6§ विद्यालय में अनुशासन तथा शिक्षा का स्तर उच्चकोटि का रखा जायेगा।

§ख§ विशेष प्रतिबन्ध

- §1§ विद्यालय की प्रबन्ध समिति रजिस्टर्ड होगी तथा समय-समय पर नियमानुसार उसका नवीनीकरण भी कराया जायेगा।
- §2§ विद्यालय में प्रत्येक कक्षा व अनुभाग के लिए उचित आकार के तथा कक्षा, दो वैकल्पिक विषय कक्षा, दो प्रयोगशाला कक्षा तथा चार प्रशासनिक कक्षा की व्यवस्था की जायेगी।
- §3§ कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सह्यता प्राप्त असातकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जाये।
- §4§ विद्यालय का लेखा जोखा निर्धारित प्रपत्रों/पीजीकाओं में रखा जायेगा।

2- उक्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी समय उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापीत प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

§ गिरजा शंकर मिश्र §
अनु सचिव

संख्या- 2449§1§/15-§17§-89-63§27§/89

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाई प्रेषित-

- §1§ शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, शांतिपुर कार्यालय, लखनऊ।
- §2§ मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
- §3§ प्रबन्धक, सरस्वती विद्या मंदिर शान्तिपुर विवेकानन्द नगर, सुल्तानपुर।
- §4§ निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- §5§ जिला विद्यालय निरीक्षक, सुल्तानपुर।

आशा है,

§ गिरजा शंकर मिश्र §
अनु सचिव